राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि / एफ7(ड)( )डीएलबी / 2022 / 2012-2228 दिनांक : 09/05/2022

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :– इन्वेस्टर समिट, 2022 के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों के संबंध में भूमि आवंटन / रूपान्तरण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालय आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के पत्र क्रमांक F.14( )CI/RIS-2022/Gen./2021 दिनांक 26.04.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इन्वेस्टर समिट, 2022 के अन्तर्गत आयोजित रोड शो एवं जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के संबंध में एमओयू एवं एलओआई निष्पादित हुए है। इन निवेश प्रस्तावों से संबंधित औद्योगिक प्रयोजनार्थ, वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन / रूपान्तरण के निकायों में प्राप्त प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने की आवश्यकता है। आवंटन से संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आ रही है, जिसका आवंटन किया जाना जरूरी है, तो भूमि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार संबंधित नगर निगम / परिषद् / पालिका में तुरन्त आवेदन करावें। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से सतत् सम्पर्क रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का श्रम करावें।

अतः आप व्यक्तिशः रूचि ले कर आपकी निकाय क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा इस संबंध में सूचना प्रत्येक 15 दिवस में विभाग द्वारा आपको प्रसारित Google Drive Link पर Update करावें ताकि निवेश प्रस्तावों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : भूमि / एफ7(ड)( )डीएलबी / 2022 / 2229-2273 दिनांक : 09/05/2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव महो., स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को IDMS NO 1097 दिनांक 29.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
04. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
05. समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग इन्वेस्टर समिट,2022 के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार निरन्तर मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
06. सयुंक्त निदेशक, IT Cell, निदेशालय को विभागीय Website पर अपलोड़ करने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक